RIGHT TO INFORMATION

# HIGH COURT OF MADHYA PRADESH: BENCH AT INDORE

## FORM –'D'

## REJECTION ORDER

(See Rule 4(2))

**No.RTIA/JR(M)-HCIND/ 958** **Indore, Dated 26.03.2022**

प्रति,

श्री फाजिल कुरैशी पिता स्व. अब्दुल कुरैशी
पता– 39, खिजराबाद कॉलोनी खजराना
इन्दौर (म.प्र.) मो.नं.–9004559953

विषय :– सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 अंतर्गत जानकारी प्राप्ती बाबत्।

सदर्भ :– आपका आवेदन पत्र दिनांक–23.03.2022 म.प्र. उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर आवक क्र. 988 दिनांक 25/03/2022 लोक सूचना अधिकारी, इन्दौर के कक्ष में प्राप्ति दिनांक 25/03/2022 & marked Id. No. 15/2022-2023

आपके द्वारा भेजे गये लिफाफे (RI672550560IN) के एक तरफ प्रेषिती का नाम श्रीमान सहायक/लोक सूचना अधिकारी महोदय, म.प्र. उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर व लिफाफे के दूसरी ओर प्रेषक का नाम–लाखन सिंह चन्देल पता– राजपूत रेसीडेस 33 डॉ अम्बेटकर, एम.आय.जी इन्दौर प्रेषित किया गया हैं, परन्तु लिफाफे अन्दर आपके आवेदन में नाम फाजिल कुरैशी पिता स्व. अब्दुल कुरैशी पता–39, खिजराबाद कॉलोनी खजराना, इन्दौर प्रेषित किया गया हैं तथा आपके द्वारा एक खाली लिफाफा जिसमे रूपये 10 के दो डाक टिकट लगे है तथा नाम फाजिल कुरैशी पिता स्व. अब्दुल अजीज पता– 39, खिजराबाद कॉलोनी खजराना, इन्दौर (म.प्र.) प्रेषित है।

---

आपके द्वारा संदर्भित आवेदन पत्र अंतर्गत निम्नलिखित जानकारी चाही गयी है :–

**"As per Application"**

उपरोक्त चाही गयी जानकारी निम्नलिखित कारणों से प्रदाय नहीं की जा सकती है :–

1. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 28 (1) के तहत मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के सक्षम प्राधिकारी ने उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश नियम (सूचना का अधिकार) 2006 गठित किया है जिसके नियम 7 (1) के अनुसार एक भारतीय नागरिक आवेदक को 50/– रूपये शुल्क का भुगतान भारतीय न्यायिक स्टाम्प/ट्रेजरी चालान संलग्न करके फार्म "ए" पर आवेदक की स्वयं की स्वः हस्ताक्षरित तस्वीर चिपकाना आवश्यक है। आपने स्वयं की स्वहस्ताक्षरित लगी हुई तस्वीर वाला फॉर्म नंबर "ए" न प्रस्तुत करते हुए 10/– रूपये का भारतीय गैर न्यायिक स्टाम्प प्रस्तुत किया है (74AA 838241) जो कि नियमानुसार सही नहीं हैं।
2. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय (सूचना का अधिकार) 2006 के नियम 3 (2) के अनुसार हर आवेदन केवल सूचना के एक विशेष मद के लिए किया जाना चाहिए जबकि आपके द्वारा एक से अधिक सूचनाएं मांगी गई हैं।
3. चाही गयी जानकारी तृतीय पक्ष से संबंधित जानकारी की परिधि में आने के साथ ही व्यक्तिगत सूचना की परिधि में भी आती है एवं इसका प्रकटन किसी विस्तृत लोक क्रियाकलाप या हित से संबंध नहीं रखता है। चाही गयी तृतीय पक्ष की जानकारी के प्रकटन से उस पक्ष की एकान्तता पर अनावश्यक अतिक्रमण हो सकता है। अतः उक्त जानकारी प्रदाय के संबंध में आपके अनुरोध को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8 (1) (j) अंतर्गत अस्वीकार किया जाता हैं।

इस प्रकार, उपरोक्त कारणो से अधोस्ताक्षरकर्ता के द्वारा आपके आवेदन को निरस्त किया जा रहा हैं। आपके द्वारा रूपये 10 का भारतीय गैर न्यायिक स्टाम्प व खाली लिफाफा जिसमें रूपये 10 के दो डाक टिकट लगे है मूल रूप से आपको वापिस किये जा रहे है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 के अनुसार अपीलीय अधिकारी (प्रिंसिपल रजिस्ट्रार – न्यायिक), म.प्र. उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर के समक्ष इस आदेश के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर अपील प्रस्तुत कर सकते हैं।

संलग्न –1. मूलतः भारतीय गैर न्यायिक स्टाम्प रूपये 10/– (74AA 838241)
2. मूलतः खाली लिफाफा जिसमे रूपये 10 के दो डाक टिकट लगे हैं।

O/C

26.03.22

(राजेश कुमार शर्मा)
लोक सूचना अधिकारी/ज्वाईंट रजिस्ट्रार (एम)
दूरभाष क्रमांक (कार्यालय)– **2528555/2527808**